पूर्वोत्तर रेलवे
N.E.Railway

कार्यालय महाप्रबंधक (कार्मिक)
गोरखपुर-273012
Office of General Manager (P)
Gorakhpur-273012

संoका/260/6/ ग्रेड पे 2400 तक/पुत्री/छात्रा0/2022-23 **दिनांक:-24/07/2023**

सभी विभागाध्यक्ष (मुसुआ एवं मुकाप्र/यां .कार. गो.को छोड़ कर)
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड,गोरखपुर ।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण ।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/ सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी ।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल ।
चिकित्सा निदेशक, लनामिरे चिकित्सालय ।
उप मुई/गोरखपुर क्षेत्र ।
उप मुविई/कालोनी ।
प्रधानाचार्य/एमएसटीसी/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र ।
प्रधानाचार्य/एन.ई रेलवे सी से. स्कूल, एन.ई रेलवे हायर सेकण्ड्री स्कूल और एन.ई रेलवे बालिका इंटर कॉलेज ।
मंसिदूई/सूत/टेली ।
अधिशासी अभियन्ता पुल कारखाना, गोरखपुर छावनी ।
महामंत्री, एन० ई० रेलवे मजदूर यूनियन, गोरखपुर ।
महामंत्री, ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी. एसो. गोरखपुर ।
महामंत्री, पूर्वोत्तर रेलवे ओ.बी.सी. रेल कर्मचारी एसोसिएशन, गोरखपुर ।

विषय:- शैक्षिक 2023-24 हेतु ग्रेड पे रूपये 2400/- तक ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के पुत्री जो मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालय में तकनीकी/व्यवसायिक डिप्लोमा/डिग्री शिक्षा प्राप्त कर रहे है, के लिए कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा छात्रवृति प्रदान किया जाना।

****

केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति से विषयगत छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया गया है। कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने की व्यवस्था करे तथा पात्र कर्मचारियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रसारित करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 31/10/2023 तक उपलब्ध कराने की व्यवास्था करे।

छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवदेन पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति को निर्णय देने के लिए कुछ प्राथमिकताये निर्धारित की गई है जो निम्नवत है:-

1. इस योजना के अन्तर्गत विषयगत कर्मचारी की पुत्री ही पात्र होगी।
2. शिक्षा का अभिप्राय सभी डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम जो मान्यता प्राप्त संस्थानों /विश्वविद्यालय के हों तथा एक वर्ष में कम न हों।
3. प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि 1500/- (एक हजार पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह होगी।
4. इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले कर्मचारी कल्याण निधि की इस प्रकार की अन्य योजना से लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।
5. छात्रवृत्ति की राशि प्रति तिमाही दी जायेगी। छात्रवृत्ति के राशि का भुगतान पुत्री के खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर माध्यम से किया जायेगा।
6. स्वीकृत की गई मासिक छात्रवृत्ति तब तक मिलती रहेगी जबतक यह छात्र अध्ययन का पाठ्यक्रम जिसके लिए छात्रवृत्ति दी गई है पूरी नही कर लेता वषर्ते उसकी शिक्षा एवं अन्य प्रकार के रिकार्ड सन्तोषजनक रहे हो। स्वीकृत छात्रवृत्ति पर कर्मचारी की मुत्यु/सेवानिवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शेष पृ/02

7. एक कर्मचारी को एक वर्ष में दो विद्यार्थियों तक कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता/छात्रवृत्ति मिल सकती है।
8. छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का निर्णय केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं हो पायेगी।

कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि आवदेन पत्र को भर्ते समय निम्नलिखित बातों को विषेष ध्यान देवे।

1. कर्मचारी अ पना पी.एफ. नम्बर छात्राका बैंक में बचत खाता संख्या, बैंक, का नाम, शाखा एवं पता सहित तथा सम्बंधित बैंक का आई.एफ.एस. कोड संख्या स्पष्ट शब्द एव आक्षरों में अंकित करना सुनिश्चित करें।
2. जिस संस्था में छात्रा पढ़ रही है, उसके पंजीकरण के सम्बध में पूरा स्पष्ट व्यौरा अंकित करें।
3. कोर्स का स्पष्ट विवरण उसकी अवधि और डिप्लोमा/डिग्री होने के बारे में विस्तृत विवरण अंकित करें।
4. आवेदन पत्र कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाय और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि जिस छात्रा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी है वह पास नियम के अन्तर्गत मान्य है।
5. आवेदन पत्र के साथ प्रवेश के समय जमा की गई फीस की रसीद की प्रति एवं पूर्ण रूप से भरा पी.आई.-16 चार (04) प्रति में अवश्य संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र में कोई विवरण गलत पाया गया तो कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
6. छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बंध में सत्र जुलाई से जून माना जायेगा।
7. पूर्ववर्ती वर्ष/परीक्षा का अंक पत्र, आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

संलग्नक/आवेदन पत्र का प्रारूप

24/11/23

(प्रदीप कुमार)
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

तकनीकी छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र

अन्तिम तिथिः- 31/10/2023

ग्रेड पे रूपये 2400/- तक ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों के पुत्री जो मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालय से तकनीकी/व्यवसायिक डिप्लोमा/डिग्री शिक्षा प्राप्त कर रहे है, उन्हें वर्ष 2023-24 के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बंध में आवेदन पत्र। (प्रमुकाधि कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि 31/10/2023 निश्चित है, इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।)

कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी

1. कर्मचारी का नाम..
2. पदनाम ....
3. कार्यालय का नाम..
4. पी0बी0वेतन एवं लेवल..
5. वेतनमान (5200-20200) (9300-34800) कृपया सही का टिक करें। ....
6. पी0एफ0संख्या..
7. क्या कर्मचारी अनु0जाति अथवा अनु0जन जाति के है, यदि हो तो विवरण ....
8. कार्यस्थल का फोन संख्या एवं मोबाइल संख्या..
9. नियुक्ति तिथि..
10. सेवा सेवानिवृत तिथि..

नोटः- नये सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने सम्बंधी छात्र का फीस का रसीद तथा पी.आई-16 फार्म (चार प्रतियों में) जिसमें सम्बंधित बैंक का नाम, बैक का पूरा पता, छात्र का बचत खाता संख्या बैंक का आई.एफ. एस.सी. कोड संख्या अवश्य स्पष्ट अंकित करते हुए बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें उक्त विवरण बैक द्वारा अंकित हो) संलग्न करें।

छात्रा सम्बन्धी जानकारी

1. छात्रा का नाम ....
2. छात्रा का आवेदनकर्ता से सम्बंध ....
3. छात्रा द्वारा किये जा रहे पाठ्यक्रम का नाम ....
4. कोर्स की अवधि कब से कब तक ....
5. कितने वर्ष का पाठ्यक्रम है ....
6. आवेदन पत्र देते समय छात्र का वर्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ ....
7. कालेज में प्रवेश लेने की तिथि ....

संस्था सम्बंधित जानकारी

1. शिक्षा संस्थान का नाम..
2. मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं..
3. मान्यता देने वाली संस्था का नाम..

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र के कालम में संस्था सम्बंधित जानकारी के सामने दी गई जानकारी सत्य एवं सही है।

शिक्षण संस्थान के अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

Wel/DPP/NER/HQ

अन्य विवरण

क्या कर्मचारी को इस छात्रा के लिए कर्मचारी कल्याण निधि अथवा अन्य श्रोत से छात्रवृति मिलती है तो उसका विवरणः-

वर्ष...

धनराशि ....

कर्मचारी द्वारा घोषणा

मैं एत्तत द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जिस छात्रा के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ इसमें दिया गया सभी विवरण सही है। मै यह भी बचन देता/देती हूँ कि इस समय मैने जिस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है उसकी मंजूरी के बाद कर्मचारी कल्याण निधि से इस प्रकार कि अन्य योजना से इसका लाभ नही लूंगा/लूगी, यदि कोई छात्रवृत्ति या सहायता किसी भी श्रोत से मंजूर की जायेगी तो मै उसकी सूचना सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति को तत्काल देता/देती हूँ। यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि छात्र के अनुत्तीर्ण होने के वर्ष कर्मचारी कल्याण निधि से कोई सहायत नहीं लूंगा/लूगी ।

उक्त घोषणा में यदि कोई कमी पाई गई तो मेरे विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

कर्मचारी सम्बंधी सूचनाओं का मिलान सेवा अधिलेखों से करा लिया गया है तथा कर्मचारी द्वारा भरा गया उपरोक्त सभी विवरण सही है। जिस छात्रा के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है वह पास नियम कि अन्तर्गत कर्मचारी पर आश्रित है।

नियंत्रक अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर
मुहर

दिनांकः-